इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2015—चैत्र 2, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 6870-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) विधेयक, २०१५

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१५ है.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,०८,५२,०१,९०,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दस हजार आठ सौ बावन करोड़ एक लाख नब्बे हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	२८,००,०००	**६,००,०००**	३४,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०५.	जेल				
		राजस्व	५,५१,००,०००	०	५,५१,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
		राजस्व	२३,२१,०००	०	२३,२१,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	१,२०,००,००,०००	०	१,२०,००,००,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	५,७५,००,००,०००	**१,९४,७२,५२,०००**	७,६९,७२,५२,०००
		पूंजी	७७,२८,४५,००,२००	०	७७,२८,४५,००,२००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	२२,४६,७८,०००	०	२२,४६,७८,०००
१६.	मछली पालन				
		राजस्व	५,१३,५६,०००	०	५,१३,५६,०००
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	४,५०,०९,८०,०००	०	४,५०,०९,८०,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	८८,२६,३००	०	८८,२६,३००
		पूंजी	३००	०	३००
२१.	आवास एवं पर्यावरण				
		राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	६२,५०,००,०००	०	६२,५०,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
		पूंजी	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	८,८४,७००	०	८,८४,७००
२६.	संस्कृति				
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	७,७३,२०,०००	०	७,७३,२०,०००
३४.	सामाजिक न्याय				
		राजस्व	१,३९,४३,०००	०	१,३९,४३,०००
३६.	परिवहन				
		पूंजी	१२,७५,००,०००	०	१२,७५,००,०००
३८.	आयुष				
		राजस्व	१००	०	१००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	२६,८७,२३,०००	०	२६,८७,२३,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		राजस्व	३५,२५,४३,०००	०	३५,२५,४३,०००
		पूंजी	८,२५,३००	०	८,२५,३००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	३,८७,००,०००	०	३,८७,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	९०,००,००,०००	०	९०,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
		राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
		पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	६,८४,६६,०००	०	६,८४,६६,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	३३,२२,५८,०००	०	३३,२२,५८,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		पूंजी	६४,७५,००,०००	०	६४,७५,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		राजस्व	५,०९,०००	०	५,०९,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना				
		राजस्व	५४,८६,८७,०००	०	५४,८६,८७,०००
		पूंजी	१६,५०,०००	०	१६,५०,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		पूंजी	१,६५,००,०००	०	१,६५,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन				
		पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी				
		राजस्व	२,९१,००,०००	०	२,९१,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	४४,२७,४५,०००	०	४४,२७,४५,०००
		पूंजी	४,७०,७७,०००	०	४,७०,७७,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	५,४४,२२,००,०००	०	५,४४,२२,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	९१,५५,००,०००	०	९१,५५,००,०००
	योग	**राजस्व** :	२५,७८,८२,६०,२००	**१,९४,७८,५२,०००**	२७,७३,६१,१२,२००
		पूंजी :	८०,७८,४०,७७,८००	०	८०,७८,४०,७७,८००
		वृहद-योग :	१,०६,५७,२३,३८,०००	**१,९४,७८,५२,०००**	१,०८,५२,०१,९०,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २३ मार्च, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2015.